

No. HQ/PIO/RTI/89/15

Date: 20.03.2015

**Sh. Meghraj Singh,**  
S/o Sh. Harswaroop Singh,  
Village & Post- Ghanaura,  
Dist. Bulandshahar,  
U.P.

**Sub: Information under RTI Act- 2005.**

**Ref.: Your application dt. 06.02.2015, received in this office on 11.02.2015.**

संबंधित विभाग से प्राप्त बिन्दुवार सूचना निम्नलिखित है:-

1. दादरी व खुर्जा के बीच चोला रेलवे स्टेशन के पास ग्रामसभा फतेहपुर जादो, तहसील-सिकन्दराबाद के पुराना गाटा संख्या-269 (नया गाटा संख्या-440) से कुल 1960 वर्ग मी. भूमि का अधिग्रहण किया गया। जिसकी कुल लम्बाई 128 मी. एवं चौड़ाई 15.31 मी. है।
2. परियोजना हेतु डाउन लाईन से भूमि अधिग्रहित नहीं की जा रही है, बल्कि अप लाईन के मध्य से 50 मी. की दूरी तक भूमि परियोजना से प्रभावित है।
3. ग्रामसभा फतेहपुर जादो में अप लाईन के मध्य से 50 मीटर दूरी तक भूमि परियोजना से प्रभावित है तथा इस दूरी में पड़ने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण हुआ है तथा ग्राम गांगरोल में भी 50 मीटर दूरी तक भूमि परियोजना से प्रभावित है।
4. कई राज्यों में फ़ैले डीएफसी प्रोजेक्ट के आकार और पैमाने को ध्यान में रखते हुए आपको सूचित किया जाता है कि DFCCIL के लिए भूमि अधिग्रहण के एवज में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बड़े पैमाने पर निहितार्थ और जटिलताएं हैं जो एक मुद्दा है और जिसपर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

  
(Rajiv Bhatnagar)  
DGM/PIO

Copy to:- CPM/Meerut

**प्रेषण  
DESPATCH**

28/3/15